प्रजातंत्र (Democracy) -

डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों 'डेमोस' (Demos) और क्रेशिया (cratia) से मिलकर बना है। 'डेमो' का अर्थ लोक और क्रेशिया का अर्थ शक्ति या सत्ता है। इस लिए डेमोक्रेसी का अर्थ है लोगों का शासन।

अब्राहम लिंकन - "लोकतंत्र जनता का, जनता के लि तथा जनता द्वारा शासन है।"

सीले - "लोकतंत्र उस शासन को कहते हैं कि जिसमें प्र व्यक्ति का भाग है।"

डायसी - "प्रजातंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें रा अधिकांश भाग शासक हो।"

लोकतंत्र के सिद्धान्त -

1- परम्परागत उदारवादी सिद्धान्त
2- विशिष्ट वर्गीय सिद्धान्त
3- बहुलवादी सिद्धान्त
4- सहभागिता सिद्धान्त
5- मार्क्सवादी सिद्धान्त अथवा जन-लोकतंत्र की धारणा

लोकतंत्र के प्रकार -

1- शुद्ध अथवा प्रत्यक्ष
2- अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिध्यात्मक

लोकतंत्र के लक्षण -

1- स्वतंत्रता
2- समानता
3- विश्व बंधुत्व
4- जनता राजसत्ता का अंतिम स्रोत है।
5- जनता को मौलिक अधिकार
6- स्वतंत्र न्यायपालिका
7- जनता साध्य है राज्य साधन है।
8-

लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए शर्तें-

1- अच्छी शिक्षा पद्धति
2- सचेत नागरिकता
3- राजनीतिक जागृति
4- स्वतंत्रता
5- सामाजिक और आर्थिक समानता
6- शांति और व्यवस्था
7- सहयोग की भावना
8- शक्तियों का विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय स्वराज्य
9- ऊंचा नैतिक स्तर
10- सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा

लोकतंत्र के गुण-

1- साधारण जनता के हितों के प्रति ध्यान- जहां सरकार के अन्य रूपों में किसी न किसी वर्ग के विशेष हितों की ओर ध्यान दिया जाता है, वहीं लोकतंत्र में किसी विशेष वर्ग के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है बल्कि साधारण जनता के हितों को सर्वोपरि समझा जाता है। इस लिए लोकतंत्र को सर्वश्रेष्ठ सरकार समझा जाता है।

2- समानता पर आधारित- लोकतंत्र में सभी वर्ग समान समझे जाते हैं और ऊंच-नीच, धनी-निर्धन, जाति-पांति, लिंग आदि सभी भेद-भाव नष्ट कर दिए जाते हैं।

3- जनमत पर आधारित- गैटेल के अनुसार- "लोकतंत्र राज्य की प्रमुख शक्ति पर नहीं बल्कि सहमति पर खड़ा रहता है तथा वह व्यक्ति के अस्तित्व को राज्य के लिए न मानकर राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए मानता है। इसके द्वारा जनता का विकास तथा उसे उन्नत करना, सामाजिक कार्यों में उसकी रुचि को जगाना है तथा ऐसी सरकार में व्यक्ति सक्रिय भाग लेते हैं, यदि उसकी महत्ता उनकी भक्ति तथा दृढ़ विश्वास के कारण है।

4- लोकतंत्र में क्रांतियों का कम से कम भय रहता है- लोकतंत्र में क्रांतियों का कम से कम भय रहता है क्योंकि इसमें जनमत का ध्यान रखा जाता है, लोक कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, किसी वर्ग के विशे

Scanned by TapScanner

अधिकार नहीं होते हैं और सबको उन्नति के समान अवसर मिलते हैं। निश्चित समय पर चुनाव होते हैं जनता के अनुसार समय-2 पर संविधान संशोधन किया जाता है।

5- जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है- सी. जी. बर्न्स- सब शासन शिक्षा की विधियां हैं परन्तु स्वशिक्षा सब शिक्षाओं में उत्तम है, इस लिए स्वशासन ही सर्वश्रेष्ठ शासन है, जो कि प्रजातंत्र है।

लोकतंत्र के दोष-

1- लोकतंत्र अयोग्य व्यक्तियों का शासन है - लोकतंत्र के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है कि यह मूर्खों, अज्ञानियों तथा अशिक्षितों का शासन है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला है और उसको साधारण व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। शासन को भली प्रकार वे ही व्यक्ति चला सकते हैं जो बुद्धिमान और निपुण हों परन्तु लोकतंत्र अशिक्षित व्यक्तियों का शासन है।

2- लोकतंत्र में संख्या का अधिक महत्व है और गुणों का कम है - लोकतंत्र के विरुद्ध यह आरोप लगाया जाता है कि इसमें संख्या का महत्व अधिक रहता है और गुणों का कम, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव में जीत और हार का निर्णय मतों के आधार पर किया जाता है। कानून बनाते समय भी संसद में सब बातों का निर्णय बहुमत के आधार पर होता है और बुद्धिमान व्यक्तियों की सम्मति को कोई महत्व नहीं किया जाता।

3- लोकतंत्र एक बहुत खर्चीला शासन है- लोकतंत्र बहुत खर्चीला शासन है क्योंकि इसमें कुछ वर्ष के पश्चात संसद, राज्य विधान मण्डल और स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। लोकतंत्र में मंत्रियों की संख्या आवश्यकता से अधिक रखी जाती है। द्वितीय सदन लोकतंत्र पर व्यर्थ का भार है।

4- लोकतंत्र में पूंजीपतियों का बहुत अधिक प्रभाव रहता है- क्योंकि जिस दल की चुनाव में जीतने की आशा होती है उसको वे बहुत अधिक रुपये चंदे के रूप में दे देते हैं और बाद में अपनी इच्छानुसार कानून बनवा लेते हैं। पूंजीपतियों का समाचार पत्र और आर्थिक व्यवस्था पर विशेष प्रभाव रहता है क्योंकि अधिकतर समाचार पत्र और कारखाने उनके हाथ में होते हैं।

5- राजनीतिक दलों का दुष्प्रचार और रिश्वतखोरी- राजनीतिक दल चुनाव के समय विशेष रूप से सत्ता प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के विरुद्ध आपत्तिजनक आरोप-प्रत्यारोप लगाते हैं और झूठा प्रचार करते है, इससे जनता भ्रमित हो जाती है और सत्य का पता नहीं लगा पाती। राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने पर दुरुपयोग करते हैं जिससे समाज में ~~बेइमानी~~ भ्रष्ट व्यक्ति का बोलबाला हो जाता है और देश का नैतिक स्तर गिर जाता है। ब्राइस- "राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांट लेते हैं।"

6- सरकार अस्थिर रहती है- जब लोकतंत्र में बहुदलीय प्रणाली रहती है तो प्रायः सरकार अस्थिर होती है, जिस तरह तृतीय एवं चतुर्थ गणराज्य फ्रांस में थी। 1989 के बाद भारत में भी अधिकतर सरकारें अस्थिर रही हैं।

शक्ति

शक्ति एक व्यापक अवधारणा है जिसका स्वरुप सूक्ष्म एवं विराट दोनो है। शक्ति ही एक ऐसा तत्व है जो सर्वत्र परिलक्षित होता है। स्वयं राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। शक्ति के बिना शासन और समाज को सुव्यवस्थित ढंग से चलाया ही नहीं जा सकता। शक्ति सदैव नीचे से ऊपर की ओर क्रमबद्ध ढंग से केन्द्रीयकृत होती है। यह मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करता है। मैकाइवर के अनुसार "शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने ~~की~~ क्षमता है।

शक्ति अवधारणा की विशेषतायें -

1- शक्ति का प्रयोग संबंध सूचक स्थिति के रुप में किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि शक्ति का तात्पर्य स्वामित्व या बल प्रयोग से नहीं है बल्कि एक संबंध है जिसका अस्तित्व शक्ति धारक एवं शक्ति अधीन के संबंधों में निहित है।

2- शक्ति का आधार सामाजिक होता है। जो शक्ति मनुष्य के पास होती है वह मूलत: उसकी निजी नहीं होती अपितु जो शक्ति मनुष्य के पास होती है, उसे वह सामाजिक संगठनों द्वारा और विशेष सामाजिक संदर्भ में दी जाती है।

3- शक्ति गुप्त रुप में रहती है। शक्ति की क्षमता तभी स्पष्ट होती है जब वह क्षमता के रुप में परिलक्षित की जाती है।

4- शक्ति का प्रयोग नियंत्रण के रुप में भी होता है। बायर्सटेड के अनुसार शक्ति की अभिव्यक्ति बल के द्वारा होती है, परन्तु शक्ति मात्र बल प्रयोग तक सीमित नहीं है।

Scanned by TapScanner

2- शक्ति अध्ययन के प्रमुख सिद्धान्त -

1- शक्ति सिद्धान्त- यह सिद्धान्त भौतिक रूप से शक्ति के अध्ययन में विश्वास करता है। ब्यूम के अनुसार, "शक्ति केवल आधिपत्य नहीं है, बल्कि बृहद अर्थ में अच्छाई को प्राप्त करने की योग्यता है।" मार्गेन्थू के अनुसार, "अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राजनीति के लिए शक्ति के लिए संघर्ष है।"

2- मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त - यह सिद्धान्त शक्ति का अध्ययन मनोवैज्ञानिक रीति से करता है और इसे प्रभाव और प्रभावशालियों की भूमिका में देखता है। एक राजनीतिक कर्ता का व्यवहार दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है।

3- समाजशास्त्रीय सिद्धान्त - इस सिद्धान्त का मुख्य बिन्दु है कि शक्ति अनेक सामाजिक संगठनों एवं इकाइयों में लिप्त है, अतेव इसका आधार सामाजिक है। समाज एक बड़ा संगठन है जिसमें अनेक संगठन रहते हैं जो आपस में इस प्रकार से प्रतिस्पर्धी हैं कि उनकी कार्य पद्धति शक्ति प्रयोग के विभिन्न रूपों को जन्म देती है।

4- उदारवादी प्रजातांत्रिक सिद्धान्त- यह सिद्धान्त शक्ति के उदारवादी एवं लोकतांत्रिक स्वरूप पर बल देता है। यह शक्ति को विकासवादी एवं निष्कर्षणात्मक क्षमता के रूप में अभिव्यक्त करता है। यहां शक्ति का तात्पर्य व्यक्ति की उन क्षमताओं से है जिससे न केवल वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके बल्कि लाभ प्राप्त कर सके।

5- मार्क्सवादी सिद्धान्त - यह सिद्धान्त शक्ति के वर्ग के आधिपत्य के उपकरण के रूप में अभिव्यक्त करता है। यह एक वर्ग की संगठित शक्ति है जिससे वह दूसरे पर अत्याचार करता है। मार्क्स ने कहा है कि राजनैतिक परिस्थितियों को सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाओं के मध्य संबंध स्थापित किया जाना चाहिए।

सत्ता (Authority)-

सत्ता को अंग्रेजी में 'Authority' कहते हैं। इसकी उत्पत्ति रोमन शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है सलाह या परामर्श। सत्ता शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रकट रूप है, जिसे राजनीतिक व्यवस्था की मूल आत्मा माना जाता है। इसी के द्वारा शासन संबंधी क्रियाओं का संपादन किया जाता है। सत्ता उस नेतृत्व को भी कहते हैं जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था के तमाम कार्यों को पूरा किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुशासन, समन्वय, समायोजन आदि की स्थापना की स्थिति का नाम भी सत्ता है। रोबे के अनुसार- "सत्ता व्यक्तियों तथा व्यक्ति समूहों को हमारे राजनैतिक विनिश्चयों के निर्माण तथा राजनैतिक अधिकार को प्रभावित करने का अधिकार है।

सत्ता की प्रकृति या स्वरूप- ब्रीच ने सत्ता के दो प्रकार बताए हैं-

1- औपचारिक सत्ता सिद्धान्त - इस सिद्धान्त के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार सत्ता ऊपर से नीचे की ओर चलती है। जो अधिकारी सत्ता में रहते हैं वे अधीनस्थों को आदेश निर्देश देते हैं। मैकाइवर ने इसे शासन का जादू कहा है।

2- स्वीकृत सिद्धान्त - इसके अनुसार सत्ता का रूप कानूनी होता है। सत्ता इस रूप में केवल औपचारिक होती है परन्तु सत्ता की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। जब अधीनस्थ अपनी समझ एवं योग्यता के दायरे में उच्च व्यक्तियों के आदेशों को स्वीकार कर लेते हैं तो वह सत्ता की स्थिति बन जाती है

सत्ता के स्रोत-

1- परम्परागत - परम्परागत सत्ता के अन्तर्गत अधीनस्थ इसलिए अपने अधिकारियों का आदेश इस लिए स्वीकार करते हैं कि ऐसा हमेशा से होता आया है। राजतंत्र में सत्ता का यही स्वरूप होता है।

Scanned by TapScanner

2- बौद्धिक एवं कानूनी - बौद्धिक एवं कानूनी सत्ता के अंतर्ग अधीनस्थ किसी नियम या कानून को इस आधार पर स्वी करते हैं कि वह औचित्यपूर्ण है। यह सत्ता संवैधानिक नियमों के अंतर्गत धारण किए गये पद से प्राप्त होती है। आधुनिक लोकशाही इसका उदाहरण है।

3- करिश्मात्मक - जब अधीनस्थ अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों को इस आधार पर न्यायसंगत मानते हैं कि उन पर अधिकारी का व्यक्तिगत प्रभाव है तो उस सत्ता को करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं।

सत्ता के कार्य-

1- समन्वय - आधुनिक शासन में सरकारी कार्य विभिन्न विभागों में आवंटित रहता है। शासन एवं प्रशासन की सफलता इन विभागों के आपसी समन्वय व सहयोग पर निर्भर करती है। यह कार्य सत्ता द्वारा किया जाता है।

2- नियंत्रण - प्रशासन की सफलता के लिए उस पर उचित नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। सत्ता का यह दायित्व है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रण में रखे। सत्ता का सदुपयोग उसके उचित नियंत्रण से ही संभव है।

3- अनुशासन - सत्ता को अपना कार्य सुचारु रुप से संपन्न करने के लिए शासन एवं प्रशासन में अनुशासन आवश्यक है। अतेव सत्ताधारी व्यक्ति अपने अधीनस्थों को अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं।

4- विकास - सत्ता अपने विभाग क्षेत्र और देश के विकास के लिए विधि कार्य करती है। यदि सत्ता विकास संबंधी कार्यों से मुह मोड़ लेती है तो उसकी आलोचना होने लगती है।

5- निर्णय - प्रत्येक सत्ताधारी को सत्ता का समुचित संचालन करने के लिए सर्वत्र निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय परिस्थिति जन्य एवं औचित्यपूर्ण होते हैं।

6- नेतृत्व एवं सूझना - सत्ताधारी व्यक्ति को देश, प्रदेश, या विभाग का नेतृत्व करना पड़ता है। उसके कुशल नेतृत्व के अधीन ही संबंधित क्षेत्र का विकास संभव है। ऐसे व्यक्ति का यह भी दायित्व है कि वह अपने अधीनस्थों को उचित संप्रेषण दे सके जिससे उनमें सहयोग, विश्वास, एवं दायित्व की भावना जागृत हो सके।

Scanned by TapScanner

शक्ति और सत्ता में अंतर

1- जहां सत्ता आदेश देने के अधिकार को कहते हैं, वहीं शक्ति आदेश देने की क्षमता को कहते हैं।

2- शक्ति सत्ता का एक साधन मात्र है, जबकि सत्ता शक्ति को प्रयोग में लाने की संस्था है। राजनीतिक जगत में जिन व्यक्तियों को कोई शक्ति प्राप्त होती है, उसका प्रयोग तब वे अधिक सुविधा पूर्वक कर सकते हैं, जब वे सत्तारूढ़ हो जाते हैं।

3- सत्ता के पीछे शक्ति होती है, बिना शक्ति के कोई भी सत्ता प्रभावहीन हो जाती है, बिना सत्ता के शक्ति को वैधता नहीं प्राप्त हो सकती।

4- शक्ति का रूप अनिश्चित होता है जब कि सत्ता निश्चित होती है।

5- सत्ता के पीछे कानून अधिकार होता है जबकि शक्ति में ऐसा नहीं होता।

6- शक्ति के साथ बल प्रयोग जुड़ा है, अतेव इसका प्रभाव भौतिक है, सत्ता सहमति पर आधारित होती है और उसका प्रभाव भावनात्मक अधिक होता है।

7- शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन किया जा सकता है।

8- शक्ति में स्वविवेक का अभाव होता है जबकि सत्ता में स्वविवेक निहित होता है।

— हेनरी फेयोल - "सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसको पालन करवाने की शक्ति है।"

Scanned by TapScanner

शक्ति और बल (Power and Force)

हैरल्ड स्प्राउट और मारग्रेट स्प्राउट तथा आइनिस क्लाउ ने शक्ति का अर्थ सैनिक शक्ति माना है। लेकिन मार्गेन्थू ने शक्ति को राजनीतिक शक्ति के रूप में इंगित किया है। शक्ति और बल में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है।

1- बल प्रयोग शक्ति का उपकरण है। ~~यदि~~ यदि बल प्रयोग किया जाता है कि तो वहीं से राजनीतिक शक्ति का अन्त हो जाता है।

2- बल प्रयोग हिंसा पर आधारित है जबकि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है।

3- शक्ति अदृश्य है जबकि बल प्रयोग दृश्य है।

4- शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। (बायर्सटेड)

शक्ति और प्रभाव (Power and Influence)

यदि शक्ति से 'बल प्रयोग', 'दण्ड', और 'हिंसा' को निष्कासित कर दिया जाए तो वह प्रभाव बन जाती है। "प्रभाव गुप्त शक्ति है। यह न्यूनाधिक मात्रा में शक्ति का अदृश्य रूप है।" (फ्रेडरिक)

प्रभाव और शक्ति में घनिष्ठ संबंध है। दोनों एक दूसरे ~~से~~ को सबलता प्रदान करते हैं। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है तथा शक्ति प्रभाव को। भौतिक बल प्रयोग के साथ संलग्न होकर प्रभाव भी शक्ति बन जाता है। शक्ति और प्रभाव में अंतर दर्शाया जा सकता है।

Scanned by TapScanner

1- शक्ति के पीछे कठोर भौतिक बल एवं प्रतिबंधों का प्रयोग होता है। प्रभाव में आग्रह, विनय और नैतिकता का पुट विद्यमान रहता है जबकि शक्ति की प्रकृति बाध्यकारी होती है।

2- शक्ति भय और दण्ड पर आधारित होने के कारण अलोकतांत्रिक है और प्रभाव सहमति पर आधारित होने के कारण लोकतांत्रिक है।

3- शक्ति के प्रयोग को देखा जा सकता है जबकि प्रभाव का केवल अनुमान लगाया जा सकता है।

4- शक्ति और बल प्रयोग भौतिक शक्तियों पर आधारित होती है अतः उसका प्रयोग सीमित ही किया जा सकता है किन्तु यदि एक बार प्रभाव अर्जित कर लिया जाय तो उसके प्रयोग की कोई सीमा नहीं रहती।

Scanned by TapScanner

राजनीति की संकल्पना-

राजनीति विज्ञान विषय की लम्बी परम्परा रही है। यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है जबकि प्लेटो राजनीतिक दर्शन का पिता माना जाता है। पालिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के Polis शब्द से हुई है जिसका अर्थ नगर राज्य होता है।

गार्नर के अनुसार- "राजनीति विज्ञान का प्रारम्भ व अन्त राज्य से ही होता है।"

लीकॉक के अनुसार- "राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित विधा है।"

गिलक्राइस्ट के अनुसार- "राजनीतिशास्त्र वस्तुतः राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है।"

आधुनिक अर्थोंमें राजनीति विज्ञान शक्तिका अध्ययन है जो मानव जीवन से संबंधित विभिन्न समूहों, संगठनों, संस्थाओं की क्रियाओं-प्रक्रियाओं को नियंत्रित तथा निर्देशित करता है।

इसके अन्तर्गत राजनीति विज्ञान है या कला, राजनीतिक विचार, राजनीतिक सिद्धान्त, राजनीतिक दर्शन तथा राजनीतिक विचारधारा का व्यापक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

राजनीति विज्ञान के पक्ष में तर्क - ① पोलाक के अनुसार राजनीति शास्त्र उसी प्रकार एक विज्ञान है जिस प्रकार नीति विज्ञान। मानव स्वभाव की प्रवृत्तियों में भी एक तारतम्यता तथा समानता पाई जाती है।

② भौतिक विज्ञान की ही तरह राजनीति में भी निश्चितता का अंश देखने को मिलता है।

अनेक विद्वानों ने राजनीति को विज्ञान मानने से इंकार

Scanned by TapScanner

करते हैं। उनके अनुसार राजनीति में निश्चितता का अभाव, पर्यवेक्षण का अभाव, सैद्धान्तिक एकरुपता का अभाव, सत्यता का अभाव तथा इसका स्वरुप परिवर्तनशील है। अतः यह विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

① राजनीतिक विचार या चिन्तन (Political Thought)

राजनीतिक विचार उन सभी व्यक्तियों अथवा किसी समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों के सिद्धान्तों, मूल्यों और विश्वासों का सामान्य चिन्तन होता है जो राज्य की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों, नीतियों और निर्णयों के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं और जिनका प्रभाव आज के राजनीतिक जीवन पर भी दिखाई देता है। ये लोग दार्शनिक, लेखक, पत्रकार, कवि, राजनीतिक टीकाकार कुछ भी हो सकते हैं। राजनीतिक चिन्तन का कोई निश्चित रूप नहीं होता। यह कोई लेख, प्रस्ताव, कविता, टिप्पणी, भाषण आदि किसी भी रूप में हो सकता है। विचार समय बद्ध होता है। समय और परिस्थितियों में परिवर्तन आने से इनमें भी परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए हम ग्रीक, रोमन और मध्ययुगीन राजनीतिक चिन्तन को देख सकते हैं।

Scanned by TapScanner

राजनीतिक सिद्धान्त- राजनीतिक सिद्धान्त के अन्तर्गत राजनीति के भिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति का सम्बन्ध मनुष्यों के सार्वजनिक जीवन से है। राजनीतिक प्रबन्ध के अन्तर्गत समाज के सारे सदस्यों के ऊपर सत्ता का प्रयोग किया जाता है। सबके लिए नियम बनाए जाते हैं और निर्णय किए जाते हैं। सबके अधिकार ~~और~~ कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं और सार्वजनिक जीवन को उन्नत करने के उपाय किए जाते हैं। ये नियम और निर्णय हम सबके जीवन को घर-घर तक प्रभावित करते हैं। ऐसे निर्णय किस प्रक्रिया के परिणाम होते हैं और इस प्रक्रिया में किन तात्विक नियमों का पालन होना चाहिए - यह राजनीतिक सिद्धान्त की मुख्य समस्या है। राजनीतिक सिद्धान्त का सरोकार तथ्यों और मूल्यों दोनों से है, उचित और अनुचित की जांच की जाती है और समाज के लिए उपयुक्त लक्ष्यों, नीतियों और कार्यक्रमों की संस्तुति की जाती है।

राजनीतिक सिद्धान्त के दो रूप हैं परम्परागत उपागम और आधुनिक उपागम।

परम्परागत उपागम -

1- कल्पनात्मक और आदर्शी।
2- नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल।
3- राज्य एक नैतिक संस्था के रूप में।
4- कानूनी, औपचारिक - संस्थागत अध्ययन।
5- संकुचित अध्ययन।
6- दर्शनशास्त्र से प्रभावित अध्ययन।
7- व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन।

Scanned by TapScanner

आधुनिक उपागम-

1- राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन।
2- शक्ति का अध्ययन।
3- राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन।
4- निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन।

③ राजनीतिक दर्शन (Political Philosophy)

दर्शनशास्त्र का दूसरा नाम है 'ज्ञान का विज्ञान' (Science of Knowledge) अर्थात् इस संसार, व्यक्ति तथा ईश्वर के बारे में ज्ञान। यह वह ज्ञान है जो किसी भी विषय की सूक्ष्म व्याख्या करने में सक्षम होता है। जब यह ज्ञान राजनीतिक क्षेत्र अर्थात् राज्य की व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उसे राजनीतिक दर्शन का नाम दिया जाता है। राजनीतिक दर्शन का सम्बन्ध नैतिक राजनीतिक सिद्धान्तों से है। अर्थात् राजनीतिक दर्शन का संबन्ध केवल 'क्या है' की व्याख्या करना नहीं होता बल्कि 'क्या होना चाहिए' की व्याख्या से अधिक होता है। यह केवल राजनीतिक विषयों की व्याख्या नहीं करता बल्कि इसका संबंध व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के कुछ अजर और अमर विषयों की व्याख्या करना होता है, जैसे राजनीतिक संगठन की प्रकृति और उद्देश्य राजनीतिक सत्ता के आधार, अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय आदि।

④ राजनीतिक विचारधारा - विचारधारा का अर्थ है किसी समाज या समूह में प्रचलित उन विचारों का समुच्चय जिनके आधार पर वह किसी विशेष ढंग से सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक संगठन को उचित या अनुचित ठहराता है। इस दृष्टि से विचारधारा विश्वास का विषय है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार (Scientific Basis) नहीं होता। किसी विचारधारा के

Scanned by TapScanner

नुयायी उसे अपने आप में सत्य मानकर उसका अनुसरण करते हैं। उसके सत्यापन (Verification) की जरूरत नहीं समझी जाती। भिन्न-2 समूह भिन्न-2 विचारधाए का समर्थन कर सकते हैं। अत: उनमें मतभेद उत्पन्न होना स्वाभाविक है। विचारधारा समाज में राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रेम या घृणा के संबंध को बढ़ावा देती हैं जो कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुकूल नहीं हैं। राजनीति के क्षेत्र में प्रचलित विचारधाराओं के प्रमुख उदाहरण हैं- उदारवाद (Liberalism), मार्क्सवाद (Marxism), समाजवाद (Socialism), साम्यवाद (Communism) रूढ़िवाद (Conservatism), आदर्शवाद (Idealism), फासिस्टवाद (Fascism), अराजकतावाद (Anarchism), सत्तावाद (Authoritarianism), गांधीवाद (Gandhism) इत्यादि।

कोई समूह अपनी विचारधारा के आधार पर यह निर्धारित करता है कि सर्वोत्तम शासन प्रणाली (Best System of Government) क्या है, सत्ता के प्रयोग का अधिकार किस वर्ग को होना चाहिए या सत्ताधारियों के चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए इत्यादि। जब विचारधारा का प्रयोग किसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए या उसमें सीमित अथवा आमूल परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है तब वह राजनीति का अंग बन जाती है। कोई विचारधारा या तो शासक वर्ग (Ruling Class) को वैधता (Legitimacy) प्रदान करती है या क्रांति (Revolution) को प्रेरणा देती है। अत: यह प्रभुत्वशाली वर्ग (Dominant Class) या किसी सामाजिक आन्दोलन (Social Movement) की कार्यसाधक शक्ति (Manipulative Power) को व्यक्त करती है।

राजनीति विज्ञान (Political Science)

अध्ययन के विषय के रुप में राजनीति विज्ञान अपेक्षाकृत एक व्यापक विषय है जिसमें राजनीतिक

Scanned by TapScanner

चिन्तन, सिद्धान्त, विचारधारा, संस्थाएं, तुलनात्मक राजनीति, लोकप्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय कानून सभी का समावेश किया जासकता है। राजनीति विज्ञान का एक स्वतन्त्र विषय के रूप में स्थापित हो जाने के बाद राजनीतिक सिद्धान्त उसका एक भाग बन गये।

राजनीति विज्ञान के समर्थक राजनीति के अध्ययन को एक स्वतंत्र विषय के रुप में विकसित करना चाहते थे हैं ताकि इसका विवेचन धार्मिक मान्यताओं, अलौकिक तत्वों या पौराणिक कथाओं के विवरण पर आश्रित न रहं जाये। वे यह तर्क देते हैं कि राजनीति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों जैसे कि भौतिकी (Physics) और जीवविज्ञान (Biology) की तरह तथ्यों (Facts) का पता लगाने और उनमें परस्पर सहसंबंध (Correlation) स्थापित करने के उद्देश्य से करना चाहिए अर्थात् इसके अन्तर्गत राजनीतिक तथ्यों के संबंध में सामान्य नियमों का निरुपण होना चाहिए ताकि उनके आधार पर यथार्थ राजनीति की व्याख्या (Explanation) दी जा सके। जैसे भौतिकी इस बात की व्याख्या देती है कि वर्षा क्यों होती है वैसे ही राजनीति विज्ञान को यह व्याख्या देने चाहिए कि सरकारें स्थिर या अस्थिर क्यों सिद्ध होती है, लोग किन्हीं विशेष राजनीतिक दलों को वोट क्यों देते हैं या कहीं-2 संवैधानिक सरकार को गिराकर सैनिक शासन क्यों स्थापित हो जाती है?

Scanned by TapScanner

भारतीय राजनीतिक दल-

विशेषता-

1- बहुदलीय पद्धति- भारत में ब्रिटेन तथा अमरीका की तरह द्विदलीय पद्धति नहीं, वरन् बहुदलीय पद्धति है। इस समय सात राष्ट्रीय दल एवं 654 अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं।

2- एक राजनीतिक दल का प्राधान्य- चतुर्थ आम चुनाव से श्री मॉरिस जोंस ने भारत की दलीय पद्धति को 'एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति' की संज्ञा दी थी और 1967 से 1970 के समय को छोड़कर भारतीय राजनीति की सामान्यतया यही प्रवृत्ति रही है। 1989, 1991, 1996, 1998 तथा 1999 के लोक सभा चुनावों के बाद स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया और एक दल की प्रधानता के युग का अंत हुआ।

3- दलीय राजनीति, वैयक्तिक नेतृत्व पर आधारित - दलीय राजनीति वैयक्तिक नेतृत्व पर आधारित है और व्यक्तियों के आधार पर दलों के बिगड़ने का क्रम चलता रहता है। भारतीय राजनीति के सर्वप्रमुख दल या शासक दल में सामान्यतया एक ही व्यक्ति को सर्वोच्चता की स्थिति प्राप्त रही।

4- राजनीतिक दलों का विभाजन, विघटन एवं अस्थायित्व की प्रवृत्ति - भारत के सभी राजनीतिक दल निरन्तर विभाजन, विघटन, बिखराव और अस्थायित्व की प्रवृत्ति के शिकार रहे हैं। सर्व प्रमुख दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब तक तीन बार विभाजित हो चुकी है।

5- शक्तिशाली विपक्ष - 1967-70, 1977-79 और 1989-2002 के काल को छोड़कर भारतीय राजनीति में सामान्यतया कमजोर और विभाजित विपक्ष की स्थिति रही है। 1991 के पश्चात भाजपा एक सशक्त विपक्ष के रुप में उभरा।

6- अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्ति - भारतीय राजनीति में अवसरवादिता स्वयंभव से विद्यमान रही है और अभी हाल ही के वर्षों में यह निरन्तर उग्र रुप धारण कर रही है। 1980 के केरल चुनाव के दौरान कांग्रेस और जनता पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव ~~स्व~~ लड़ा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये दल एक दूसरे के कट्टर विरोधी थे।

G.P. Rathaur

Scanned by TapScanner

7- राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ट भेद का अभाव - भारत के राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव है और इसी कारण वे जनता के सम्मुख स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। अनेक राजनीतिक दलों के पास अपना कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा विध्वंसकारी कार्यों का आश्रय लिया जाता है।

8- साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दल - भारत में अनेक राजनीतिक दल साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय आधार पर गठित है। ऐसे दलों में डी.एम.के., ए.डी.एम.के., अकाली दल, हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग आदि हैं।

9- राजनीतिक दलों की आन्तरिक गुटबंदी - भारत की दल प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता विभिन्न दलों की आन्तरिक गुटबंदी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे-2 गुट पाये जाते हैं, एक वह गुट जो सत्ता में है और दूसरा असंतुष्ट गुट। इन गुटों में पारस्परिक मतभेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी-2 निर्वाचन में एक गुट के समर्थन प्राप्त उम्मीदवार को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते हैं।

10- राजनीतिक दल-बदल - भारत में दल-बदल की स्थिति सदैव से विद्यमान रही है, लेकिन 1967 से 1970 के वर्षों में यह प्रवृत्ति बहुत अधिक भीषण रूप में देखी गई। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, मणिपुर आदि राज्यों में परिलक्षित होती है।

11- निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमी - 1977 के लोक सभा तथा विधान सभा चुनावों और 1980 के लोकसभा तथा विधान सभा चुनावों में निर्दलीय सदस्यों की संख्या में कमी हुई है।

राजनीतिक दल के कार्य -

1- लोकमत का निर्माण
2- चुनावों का संचालन
3- सरकार का निर्माण
4- शासन सत्ता को मर्यादित करना
5- सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना
6- राजनीतिक चेतना का प्रसार
7- जनता और शासन के बीच समन्वय

Scanned by TapScanner

(5)

स्वतंत्रता (LIBERTY)

स्वतंत्रता को अंग्रेजी में 'लिबर्टी' कहते हैं जो लैटिन के 'लिबर' (Liber) शब्द से निकला है जिसका अर्थ है 'स्वतंत्र'। इसका मतलब है प्रतिरोध का अभाव। ग्रीन के अनुसार "स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है जो दूसरे के विरुद्ध नहीं हो।" स्वतंत्रता के दो प्रकार हैं- सकारात्मक स्वतंत्रता एवं नकारात्मक स्वतंत्रता।

नकारात्मक स्वतंत्रता- प्रारंभिक उदारवाद के साथ ही नकारात्मक स्वतंत्रता का उदय होता है। इसके समर्थक लॉक, ह्यूम, थामसपेन, स्पेंसर, बेंथम, मिल, बर्लिन इत्यादि हैं। इसके अनुसार स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। व्यक्ति वही स्वतंत्र होता है राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

1- नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा, उसकी बौद्धिकता और मूलभूत अच्छाई में विश्वास करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना भला जानता है और कर सकता है। अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए वह उन मनमर्जी की सत्ताओं से स्वतंत्रता चाहता है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कर सकती है। नकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व तक सीमित रखती है तथा समाज और राज्य की व्यक्ति की स्वतंत्रता का शत्रु मानती है। यह स्वतंत्रता के सामाजिक पक्ष की अवज्ञा करती है।

2- स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का अभाव। हाब्स ने स्वतंत्रता को 'कानून का मौन' माना, बर्लिन इसे 'जोर जबरदस्ती का अभाव' मानते हैं। फ्रीडमैन इसे राज्य, समाज और अन्य नागरिकों द्वारा व्यक्ति के साथ जोर-जबरदस्ती का अभाव मानते हैं। नाजिक के अनुसार स्वतंत्रता 'आत्म-स्वामित्व का प्राकृतिक अधिकार' है।

3- बंधनों का अभाव' की धारणा काफी व्यापक है। ये बंधन राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक, व्यक्तिगत आदि कुछ भी हो सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति अत्याधिक स्वतंत्र होता है। आर्थिक स्तर पर इसका अर्थ है मुक्त व्यापार, संपत्ति का असीमित अधिकार। नागरिक स्तर पर इसका अर्थ होता है विचार, भाषण तथा आत्मा की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्तर पर इसका अर्थ है व्यक्ति द्वारा अपने जीवन से संबंधित निर्णय समाज तथा राज्य के दबाव के बिना लेने की स्वतंत्रता।

4- राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन नहीं सकते वे केवल इसे सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में नियंत्रित

Scanned by TapScanner

कर सकते हैं। क्योंकि यह स्वतंत्रता वास्तव में राज्य से स्वतंत्रता है, अतः राज्य यह स्वतंत्रता केवल अपने कार्यों को न्यूनतम करके ही सुरक्षित कर सकता है।

5- स्वतंत्रता का प्रजातंत्र, समानता अथवा संपत्ति के साथ संबंध अवश्य है परन्तु ये इसकी आवश्यक शर्तें नहीं है। समानता अथवा प्रजातंत्र स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बन सकते हैं।

6- स्वतंत्रता तथा 'स्वतंत्रता की परिस्थितियों' में अंतर होता है। स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है व्यक्ति के जीवन में राज्य, समाज अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा मनमाने हस्तक्षेप का अभाव।

सकारात्मक स्वतंत्रता - सकारात्मक स्वतंत्रता का उदय द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद होता है। यह नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिक्रिया स्वरूप आया। जहां नकारात्मक स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता कानून के अन्तर्गत कार्य करने की बात करता है। स्वतंत्रता की सकारात्मक धारणा स्वतंत्रता को समाज, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां, अधिकार, समानता और न्याय के साथ जोड़ती है। इसके समर्थक ग्रीन, बोसांके, हाबहाउस, लिंडसे, बार्कर, लास्की, मैकाइवर, मैकफर्सन, राल्स, बर्लिन इत्यादि है। इसकी विशेषताएं निम्नांकित है-

1- स्वतंत्रता व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास की आवश्यक शर्त है। यह 'बंधनों का अभाव' न होकर वह सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की उपस्थिति है जिनके अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता।

2- सभी प्रकार के बंधन बुरे नहीं होते। सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है कि सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप कुछ बंधन स्वतंत्रता के विरोधी न होकर उसकी गारण्टी होते हैं। 'बंधनों के अंतर्गत स्वतंत्रता' की धारणा न्याय संगत और व्यवहारिक है।

3- स्वतंत्रता का रूप सामाजिक है। स्वतंत्रता का उद्देश्य मानव का सामाजिक व्यक्ति के रूप में विकास करना है। सामाजिक हित के विरुद्ध स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती।

4- स्वतंत्रता की एक अन्य शर्त है अधिकारों की उपस्थिति। इसी तरह स्वतंत्रता न्याय और नैतिकता से भी जुड़ी हुई

Scanned by TapScanner

5- आधुनिक राज्य में इस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के कुछ उपाय हैं- प्रजातांत्रिक सरकार, अधिकारों की संविधानिक गारंटी, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण, न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा न्यायिक जांच आदि।

6- स्वतंत्रता का अर्थ है- सहभागिता, स्वायत्तता, रचनात्मकता, विकास, आत्मनिश्चय तथा व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए सामाजिक समर्थन।

स्वतंत्रता का संरक्षण अथवा गारन्टी

1- प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना
2- संविधान
3- मौलिक अधिकार
4- स्वतंत्र न्यायपालिका
5- शक्तियों के विकेन्द्रीकरण
6- आर्थिक सुरक्षा
7- कानून का राज्य
8- राजनीतिक शिक्षा तथा सतत सतर्कता

स्वतंत्रता

1- नागरिक स्वतंत्रता
2- राजनीतिक स्व.
3- आर्थिक स्वतं.
4- राष्ट्रीय स्वतंत्रता

समानता (Equality)

स्वतंत्रता के समान समानता भी मानव जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि समानता के बिना एक श्रेष्ठ जीवन जीने की संभावना बहुत कम हो जाती है। समानता का अर्थ यह है कि सब मनुष्य समान हैं और सभी के साथ एक समान बर्ताव होना चाहिए तथा सबकी आमदनी एक सी होनी चाहिए। फ्रांस ने अपने 1789 के मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र में लिखा कि "मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं और वे अपने अधिकारों के विषय में भी समान और स्वतंत्र रहते हैं। समानता का मूल अर्थ है विशिष्ट सुविधाओं एवं विशेष अधिकारों का समाप्त कर, समान रूप से योग्यता एवं क्षमता के आधार पर कार्य किया जाय। समानता के निम्नलिखित प्रकार हैं-

1- नागरिक (अन्नी) समानता- नागरिक समानता में सब नागरिकों के समान नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं का समावेश

Scanned by TapScanner

होता है। कानून की दृष्टि से सब समान होने चाहिए। यदि कानून मनुष्यों में उनके स्तर या सम्पत्ति के कारण, उनके राजनीतिक मत या उनके धार्मिक विश्वासों के कारण भेद करता है तो वह कानूनी समानता नहीं है। समानता चाहती है कि अधिकार के विषय में सब नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।

2- राजनीतिक समानता - राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सब नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार हो, सरकार में समान आवाज हो और अधिकार के सब पदों पर समान पहुंच हो, बशर्ते की आवश्यक योग्यताएं पूर्ण की गई हों। इसका अर्थ लोकतंत्र और वयस्क मतदान की मान्यता है। किन्तु राजनीतिक समानता तब तक वास्तविक नहीं होती जब तक उसके साथ आर्थिक समानता न हो।

3- सामाजिक समानता - सामाजिक समानता का अर्थ है कि सब नागरिक समाज की समान रूप में स्पष्ट इकाइयां हैं और किसी को भी विशिष्ट सुविधाओं का अधिकार नहीं है। सबको उन्नति करने और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का समान अवसर प्राप्त होता है। यह वंश, जन्म, रंग, पद, वर्ग अथवा जाति के कारण लोगों के सामाजिक स्तर में कोई भेद नहीं करती।

4- प्राकृतिक समानता - प्राकृतिक समानता का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य समान होते हैं किसी के साथ भेद-भाव नहीं होता। समाज प्राकृतिक असमानताओं को सहन कर सकता है किन्तु मनुष्य द्वारा निर्मित असमानताओं को सहन नहीं करेगा। प्राकृतिक समानता का आशय यह है कि मनुष्यों ने स्वार्थवश जो असमानताएं समाज में पैदा कर ली हैं उन्हें कभी प्राकृतिक नहीं माना जायेगा।

5- आर्थिक समानता - ब्राइस के अनुसार "पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है।" लास्की के अनुसार "आर्थिक समानता मुख्यतः आर्थिक संतुलन की समस्या है। इसका अर्थ है कि वे वस्तुएं तथा सेवाएं जिनके बिना जीवन बेकार है। समाज के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी भेद-भाव के प्राप्त होनी चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता सबकी मौलिक समस्या है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि इन मौलिक-न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए समान दृष्टिकोण होना चाहिए। लास्की कहता है कि "हमें रोटी खाने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक हमारा पड़ोसी भोजन न कर लिया हो।

कुल मिलाकर समानता का अर्थ विशेष सुविधाओं का अंत, समान अवसर, एवं आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का अंत हो।

G. P. Rathaur

Scanned by TapScanner

केन्द्र-राज्य संबंध-(Centre-State Relations)

भारत में संघवाद का स्वरूप 'सहयोगी संघवाद' है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। ये शक्तियां हैं संघीय शक्ति, राज्य शक्ति, समवर्ती शक्ति तथा अवशिष्ट शक्ति। संघ और राज्यों के संबंध को तीन भागों में बांटा जा सकता है- 1विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध।

केन्द्र-राज्य विधायी संबंध-

केन्द्र एवं राज्यों के विधायी संबंधों का संचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है जिन्हें संघ सूची, राज्य सूची, एवं समवर्ती सूची का नाम दिया गया है।

1- संघ सूची- इसमें 97 विषय शामिल हैं जैसे- रक्षा, वैदेशिक मामले, मुद्रा व संधि, नागरिकता, रेल, बंदरगाह, हवाई मार्ग, डाक,तार, टेलीफोन, बेतार, मुद्रानिर्माण, बैंक, बीमा, खाने व खनिज आदि।

2- राज्य सूची - इसमें 66 विषय हैं जैसे- पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, सड़कें।

3- समवर्ती सूची - इसमें 47 ~~52~~ विषय हैं जैसे- फौजदारी, निवारक निरोध, विवाह, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व।

1- राज्यसूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर- अनु० 249 के अनुसार, यदि राज्यसभा अपने दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्यसूची में निहित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

2- राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर- अनु० 252 के अनुसार यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल प्रस्ताव पास कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि राज्य सूची के किन्हीं विषयों पर संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाये, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है।

Scanned by TapScanner

3- संकट कालीन घोषणा होने पर (250) - संकट कालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है।

4- विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु (253) - यदि संघ सरकार ने विदेशी राज्यों से किसी प्रकार की संधि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया है। तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा।

5- राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर (356) - यदि किसी राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाये या संवैधानिक तंत्र विफल हो जाये तो राष्ट्रपति राज्य विधानमण्डल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है।

केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंध-

संविधान के अंतर्गत केन्द्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों का ~~विश्लेषण~~ राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से संघीय सरकार को राज्यों के संबंध में कतिपय प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त हैं।-

1- राज्यों का दायित्व - संविधान के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद द्वारा निर्मित कानूनों का पालन होता रहे।

2- केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है- राष्ट्रीय व सैनिक महत्व के मार्गों व पुलों आदि का निर्माण साधारणतया केन्द्रीय सरकार ही करती है, परन्तु केन्द्र को यह अधिकार प्राप्त है कि इस प्रकार के मार्गों के निर्माण व उचित रख-रखाव के लिए वह राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके।

3- राष्ट्रपति राज्यों की सरकारों अथवा उसके पदाधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप सकता है।

Scanned by TapScanner

4- केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का यह कर्तव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यों का आदर करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिए गये अंतिम निर्णयों को लागू करें।

5- संघ द्वारा राज्यों को नियंत्रित करने का एक महत्व पूर्ण तरीका है अखिल भारतीय सेवाएं। संघ को इन सेवाओं के सदस्यों को राज्यों के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर रखने का अधिकार होता है।

6- राज्यपाल - राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और एक प्रकार से वे राज्यों में केन्द्र के एजेन्ट के नाते कार्य करते हैं। उनके माध्यम से केन्द्रीय सरकार राज्यों के शासन पर अंकुश रख सकती है।

केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंध-

1- भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। प्रथम, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है और द्वितीय, करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है।

2- केन्द्र - राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में अनुदान देता है। जैसे कुटीर उद्योगों का विकास, सूखा, बाढ़ एवं भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाएं, जनजातियां आदि।

3- ऋण लेने संबंधी उपबंध - संविधान केन्द्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को प्राप्त होता है, परन्तु वे विदेशों से ऋण नहीं ले सकते।

4- करों से विमुक्ति - राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे।

5- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण - भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय

मंत्रिमण्डल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उसकी निष्पक्ष रूप से जाँच करता है।

6- वित्तीय संकटकाल- वित्तीय संकट काल के दौरान राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान, आदि संप के करों की आय में भाग बंटाने से संबंधित हो।

केन्द्र-राज्य तनाव के मामले-

1- राज्यपाल का पद
2- नौकरशाही
3- कानून और व्यवस्था के मामलों पर राज्यों को केन्द्रीय निर्देश।
4- आर्थिक नियोजन
5- राज्यों की ऋणग्रस्तता
6- वित्त आयोग की भूमिका
6- अंतराज्यीय व्यापार

→ सरकारिया आयोग का सुझाव -

Scanned by TapScanner